भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या- 3705**
उत्तर देने की तारीख- 12/08/2025

**दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड**

**3705. श्री तेजस्वी सूर्या:**
**डॉ. बायरेड्डी शबरी:**

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले पाँच वर्षों के दौरान दिव्यांगजनों के लिए विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत आवंटित, जारी और उपयोग की गई निधि का योजना-वार, वर्ष-वार और संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत गठित राज्य सलाहकार बोर्डों, स्थापित विशेष न्यायालयों और नियुक्त विशेष लोक अभियोजकों की संख्या और केंद्रीय सलाहकार बोर्ड द्वारा आयोजित बैठकों की संख्या कितनी है और उनकी राज्य-वार और संघ राज्यक्षेत्र-वार संचालन स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ग) दिव्यांगजनों के लिए केंद्रीय और राज्य आयुक्तों के कार्यालयों में रिक्तियों की वर्तमान स्थिति क्या है और क्या सभी राज्यों ने अधिनियम की धारा 79 के अंतर्गत अनिवार्य रूप से स्वतंत्र आयुक्तों की नियुक्ति की है और यदि हाँ, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) अधिनियम के अधिनियमन के बाद से सरकारी प्रतिष्ठानों में उनके लिए आरक्षित पदों पर मानक आधार पर नियोजित और पदोन्नत किए गए दिव्यांगजनों का ब्यौरा क्या है और उनकी कुल संख्या कितनी है; और

(ङ) क्या मंत्रालय ने हाल के वर्षों में यूएनसीआरपीडी को इस बारे में देश की स्थिति के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत की है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल. वर्मा)

(क): दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग केवल केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है और पिछले पांच वर्षों के दौरान दिव्यांगजनों के लिए विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत आवंटित, जारी और उपयोग की गई निधियों का विवरण **अनुबंध-I** में संलग्न है।

(ख): दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत राज्य सलाहकार बोर्ड गठित करने, विशेष न्यायालय स्थापित करने तथा विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है। केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की अब तक सात बैठकें हो चुकी हैं; पिछली (7वीं) बैठक दिनांक 15.12.2024 को नई दिल्ली में हुई थी।

(ग): मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन (सीसीपीडी) का पद वर्तमान में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सचिव द्वारा अतिरिक्त प्रभार के रूप में संभाला जा रहा है। सीसीपीडी के पद पर नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया वर्तमान में चल रही है। आयुक्त दिव्यांगजन (आरक्षित) का पद नियमित आधार पर भरा जाता है तथा आयुक्त दिव्यांगजन (अनारक्षित) के पद पर नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया वर्तमान में चल रही है। राज्य आयुक्त दिव्यांगजन के कार्यालय में रिक्तियों की स्थिति **अनुबंध III** में दी गई है। मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन के कार्यालयों में रिक्तियों और स्वतंत्र एससीपीडी की नियुक्ति संबंधी मामले राज्य सरकारों से संबंधित है, क्योंकि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 79 के अनुसार, राज्य आयुक्त दिव्यांगजन (एससीपीडी) और एससीपीडी कार्यालय में अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति संबंधित राज्य सरकारों को करनी है।

(घ): दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 34 के अनुसार, बेंचमार्क दिव्यांगता की विनिर्दिष्ट श्रेणियों के लिए पदों के प्रत्येक समूह में संवर्ग संख्या में कुल रिक्तियों के विरुद्ध सरकारी रोजगार में कम से कम 4% आरक्षण का प्रावधान है। इसके अलावा, इस धारा के प्रावधान के अनुसार, पदोन्नति में आरक्षण समय-समय पर समुचित सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार होगा। रिक्तियां होना और बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों सहित उन्हें भरना, एक सतत प्रक्रिया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों की पहचान करने, ऐसी रिक्तियों के मूल कारणों का अध्ययन करने, ऐसी रिक्तियों के कारणों को दूर करने के उपाय शुरू करने तथा विशेष भर्ती अभियान के माध्यम से उन्हें भरने के लिए एक आंतरिक समिति का गठन करें। दिनांक 01.01.2024 तक, दिव्यांगजनों की श्रेणी के अंतर्गत 27,693 कर्मचारी हैं।

(ङ): भारत अक्टूबर 2007 से दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (यूएनसीआरपीडी) का एक पक्षकार है। यूएनसीआरपीडी के अनुच्छेद 35 के अनुसरण में, भारत ने वर्ष 2015 में सीआरपीडी पर संयुक्त राष्ट्र समिति के समक्ष भारत में दिव्यांगता की स्थिति पर देश की प्रथम रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। संयुक्त राष्ट्र समिति द्वारा सितंबर, 2019 में भारत देश की प्रथम रिपोर्ट पर विचार किया गया था।

****

अनुबंध- I

**" दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड " के संबंध में दिनांक 12/08/2025 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3705 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध**

**योजनाओं के अंतर्गत पिछले पांच वर्षों का बजट अनुमान (बीई), संशोधित अनुमान (आरई) और वास्तविक व्यय (एई)**

**(करोड़ रुपये में)**

| | | 2020-21 | | | 2021-22 | | | 2022-23 | | | 2023-24 | | | 2024-25 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | योजनाएं | बजट अनुमान | संशोधित अनुमान | वास्तविक व्यय | बजट अनुमान | संशोधित अनुमान | वास्तविक व्यय | बजट अनुमान | संशोधित अनुमान | वास्तविक व्यय | बजट अनुमान | संशोधित अनुमान | वास्तविक व्यय | बजट अनुमान | संशोधित अनुमान | वास्तविक व्यय |
| 1 | दिव्यांगजनों को सहायक यंत्रों एवं उपकरणों की खरीद/ फिटिंग के लिए सहायता की योजना | 230.00 | 195.00 | 189.13 | 220.00 | 180.00 | 198.70 | 235.00 | 230.00 | 242.29 | 245.00 | 305.00 | 290.60 | 315.00 | 350.00 | 348.81 |
| 2 | दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना | 130.00 | 85.00 | 83.18 | 125.00 | 105.00 | 100.90 | 125.00 | 105.00 | 114.69 | 130.00 | 130.00 | 129.98 | 165.00 | 139.00 | 139.39 |
| 3 | दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति | 125.00 | 100.00 | 97.40 | 125.00 | 110.00 | 120.32 | 105.00 | 145.00 | 142.00 | 155.00 | 155.00 | 130.07 | 142.68 | 80.00 | 89.71 |
| 4 | दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के कार्यान्वयन हेतु योजना | 251.50 | 122.89 | 103.43 | 209.77 | 147.31 | 108.44 | 240.39 | 100.00 | 65.59 | 150.00 | 67.00 | 76.79 | 135.33 | 111.00 | 44.16 |

अनुबंध – II

" दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड " के संबंध में दिनांक 12/08/2025 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3705 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

| राज्य सलाहकार बोर्डों, विशेष न्यायालयों और विशेष लोक अभियोजकों का विवरण | | | | |
|---|---|---|---|---|
| क्र. सं. | राज्य | राज्य सलाहकार बोर्ड | विशेष न्यायालय | विशेष लोक अभियोजक |
| 1. | आंध्र प्रदेश | हाँ | हाँ | हाँ |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | हाँ | हाँ | हाँ |
| 3. | असम | हाँ | हाँ | हाँ |
| 4. | बिहार | हाँ | हाँ | हाँ |
| 5. | छत्तीसगढ | हाँ | हाँ | हाँ |
| 6. | गोवा | हाँ | हाँ | हाँ |
| 7. | गुजरात | हाँ | हाँ | हाँ |
| 8. | हरियाणा | हाँ | हाँ | हाँ |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | हाँ | हाँ | हाँ |
| 10. | झारखंड | हाँ | हाँ | हाँ |
| 11. | कर्नाटक | हाँ | हाँ | हाँ |
| 12. | केरल | हाँ | हाँ | हाँ |
| 13 | मध्य प्रदेश | हाँ | हाँ | हाँ |
| 14. | महाराष्ट्र | हाँ | हाँ | हाँ |
| 15. | मणिपुर | हाँ | हाँ | हाँ |
| 16. | मेघालय | हाँ | हाँ | हाँ |
| 17. | मिजोरम | हाँ | हाँ | हाँ |
| 18. | नागालैंड | हाँ | हाँ | हाँ |
| 19. | ओडिशा | हाँ | हाँ | हाँ |
| 20. | पंजाब | हाँ | हाँ | हाँ |
| 21. | राजस्थान | हाँ | हाँ | हाँ |
| 22. | सिक्किम | हाँ | हाँ | हाँ |
| 23. | तमिलनाडु | हाँ | हाँ | हाँ |
| 24. | तेलंगाना | हाँ | हाँ | हाँ |
| 25. | त्रिपुरा | हाँ | हाँ | हाँ |
| 26. | उत्तराखंड | हाँ | हाँ | हाँ |
| 27. | उत्तर प्रदेश | हाँ | हाँ | हाँ |
| 28. | पश्चिम बंगाल | हाँ | प्रक्रियाधीन | प्रक्रियाधीन |
| 29. | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | हाँ | हाँ | हाँ |
| 30. | चंडीगढ़ | हाँ | हाँ | हाँ |
| 31. | दादर व नगर हवेली और दमन व दीव | हाँ | हाँ | हाँ |
| 32. | दिल्ली | हाँ | हाँ | हाँ |
| 33. | जम्मू कश्मीर | हाँ | हाँ | हाँ |
| 34. | लद्दाख | प्रक्रियाधीन | हाँ | हाँ |
| 35. | लक्षद्वीप | हाँ | हाँ | हाँ |
| 36. | पुदुचेरी | हाँ | हाँ | हाँ |

" दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड " के संबंध में दिनांक 12/08/2025 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3705 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

| राज्य दिव्यांगजन आयुक्तों के राज्य-वार ब्यौरे की सूची | | |
|---|---|---|
| क्र. सं. | राज्य | राज्य दिव्यांगजन आयुक्त (स्वतंत्र/अतिरिक्त प्रभार) |
| 1. | आंध्र प्रदेश | अतिरिक्त प्रभार |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | अतिरिक्त प्रभार |
| 3. | असम | अतिरिक्त प्रभार |
| 4. | बिहार | अतिरिक्त प्रभार |
| 5. | छत्तीसगढ | अतिरिक्त प्रभार |
| 6. | गोवा | स्वतंत्र |
| 7. | गुजरात | स्वतंत्र |
| 8. | हरियाणा | स्वतंत्र |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | अतिरिक्त प्रभार |
| 10. | झारखंड | अतिरिक्त प्रभार |
| 11. | कर्नाटक | स्वतंत्र |
| 12. | केरल | स्वतंत्र |
| 13 | मध्य प्रदेश | अतिरिक्त प्रभार |
| 14. | महाराष्ट्र | स्वतंत्र |
| 15. | मणिपुर | स्वतंत्र |
| 16. | मेघालय | स्वतंत्र |
| 17. | मिजोरम | स्वतंत्र |
| 18. | नागालैंड | अतिरिक्त प्रभार |
| 19. | ओडिशा | स्वतंत्र |
| 20. | पंजाब | स्वतंत्र |
| 21. | राजस्थान | खाली |
| 22. | सिक्किम | अतिरिक्त प्रभार |
| 23. | तमिलनाडु | स्वतंत्र |
| 24. | तेलंगाना | अतिरिक्त प्रभार |
| 25. | त्रिपुरा | अतिरिक्त प्रभार |
| 26. | उत्तराखंड | अतिरिक्त प्रभार |
| 27. | उत्तर प्रदेश | स्वतंत्र |
| 28. | पश्चिम बंगाल | अतिरिक्त प्रभार |
| 29. | अंडमान व निकोबार द्वीप समूह | स्वतंत्र |
| 30. | चंडीगढ़ | स्वतंत्र |
| 31. | दादर व नगर हवेली और दमन व दीव | अतिरिक्त प्रभार |
| 32. | दिल्ली | अतिरिक्त प्रभार |
| 33. | जम्मू कश्मीर | स्वतंत्र |
| 34. | लद्दाख | अतिरिक्त प्रभार |
| 35. | लक्षद्वीप | अतिरिक्त प्रभार |
| 36. | पुदुचेरी | अतिरिक्त प्रभार |